



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांक - डी0आई0सी0/2022/841,

दिनांक - 03.08.2022

अति आवश्यकीय

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
समस्त परिसर/महाविद्यालय/संस्थान,
सम्बद्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

समस्त संकायाध्यक्ष,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

विषय- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक (बी0 ए0/बी0 एस-सी0/बी0 कॉम0) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश योग्यता सूची (Merit List) घोषित कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने सम्बन्धित।

महोदय,

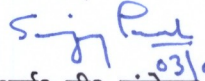
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय के परिसरों/सम्बद्ध महाविद्यालयों/सम्बद्ध संस्थानों की स्नातक (बी0 ए0/बी0 एस-सी0/बी0 कॉम0) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में सम्पादित कर पठन-पाठन का कार्य दिनांक 17 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम (बी0 ए0/बी0 एस-सी0/बी0 कॉम0) सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की अनन्तिम योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु सम्पूर्ण डेटा एक्सेल प्रारूप में विश्वविद्यालय के परिसर/महाविद्यालय/संस्थान के एडमिन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र निम्नवत् सम्पादित कराने का कष्ट करेंगे -

1. विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक (बी0 ए0/बी0 एस-सी0/बी0 कॉम0) प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की अनन्तिम योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु सम्पूर्ण डेटा को एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड करने के लिये आपको सर्वप्रथम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त यूजर-नेम व पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर (<https://kuntl.net/college/College>) पर लॉग-इन करना होगा। इसके पश्चात Admission 2022 लिंक पर क्लिक करना होगा। तदोपरान्त परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों की सूची प्रदर्शित हो जायेगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम के सामने बने Download बटन पर All/For Merit बटन पर क्लिक करके उक्त एक्सेल प्रारूप से सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची डाउनलोड हो जायेगी।
2. सूची डाउनलोड करने से पूर्व यदि किसी अभ्यर्थी के डेटा (जैसे नाम, पिता के नाम इत्यादि में वर्तनी (Spelling) की त्रुटि, अर्हता कक्षा में दिये गये अंकों में त्रुटि) में परिवर्तन किया जाना है तो Update Registration Data पर क्लिक करके उक्त एक्सेल प्रारूप में सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची डाउनलोड की जा सकती है।
3. योग्यता सूची (Merit List) परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर तैयार की जायेगी। तदोपरान्त योग्यता सूची (Merit List) के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में लागू प्रवेश नियमावली/आर्डिनेन्स के अनुसार ही विद्यार्थियों के प्रवेश किये जाने अनिवार्य होंगे।
4. शैक्षणिक सत्र 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत लागू विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम/अध्यादेश (Ordinance) विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं आपके एडमिन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये गये हैं। कृपया उक्तानुसार ही प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पादित करने का कष्ट करेंगे।
5. समस्त प्रवेश की प्रक्रिया कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सामाजिक दूरी इत्यादि के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के क्रम में माननीय कुलपति जी के निर्देशों के अनुपालन में मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में सम्पादित कर सम्बन्धित कक्षाओं में विधिवत् पठन-पाठन का कार्य दिनांक 17 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,


निदेशक, डी0 आई0 सी0/संयोजक प्रवेश

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
2. परीक्षा नियन्त्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. प्रभारी, ई0 आर0 पी0, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


निदेशक, डी0 आई0 सी0/संयोजक प्रवेश



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांक - डी0आई0सी0/2022/842,

दिनांक - 03.08.2022

अति आवश्यकीय

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,
समस्त परिसर/महाविद्यालय/संस्थान,
सम्बद्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

समस्त संकायाध्यक्ष,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

विषय- शैक्षणिक सत्र 2022-23 के व्यवसायिक पाठ्यक्रम स्नातक प्रथम सेमेस्टर (जहाँ अर्हता 10+2 उत्तीर्ण हो) में प्रवेश योग्यता सूची (Merit List) घोषित कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने सम्बन्धित।

महोदय,

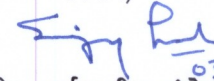
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अपने परिसरों/सम्बद्ध महाविद्यालयों की विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर (जहाँ अर्हता 10+2 उत्तीर्ण हो) में प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में सम्पादित कर पठन-पाठन का कार्य दिनांक 17 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम स्नातक प्रथम सेमेस्टर (जहाँ अर्हता 10+2 उत्तीर्ण हो) की कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की अनन्तिम योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु सम्पूर्ण डेटा एक्सेल प्रारूप में आपके परिसर/महाविद्यालय/संस्थान के एडमिन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित कक्षाओं की प्रवेश प्रक्रिया शीघ्रतिशीघ्र निम्नवत् सम्पादित कराने का कष्ट करेंगे -

1. विश्वविद्यालय द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम स्नातक प्रथम सेमेस्टर (जहाँ अर्हता 10+2 उत्तीर्ण हो) की कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की अनन्तिम योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु सम्पूर्ण डेटा को एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड करने के लिये आपको सर्वप्रथम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त यूजर-नेम व पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर (<https://kumfl.net/college/College>) पर लॉग-इन करना होगा। इसके पश्चात Admission 2022 लिंक पर क्लिक करना होगा। तदोपरान्त परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों की सूची प्रदर्शित हो जायेगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम के सामने बने Download बटन पर All/For Merit बटन पर क्लिक करके उक्त एक्सेल प्रारूप से सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची डाउनलोड हो जायेगी।
2. सूची डाउनलोड करने से पूर्व यदि किसी अभ्यर्थी के डेटा (जैसे नाम, पिता के नाम इत्यादि में वर्तनी (Spelling) की त्रुटि, अर्हता कक्षा में दिये गये अंकों में त्रुटि) में परिवर्तन किया जाना है तो Update Registration Data पर क्लिक करके उक्त एक्सेल प्रारूप में सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची डाउनलोड की जा सकती है।
3. योग्यता सूची (Merit List) परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर तैयार की जायेगी। तदोपरान्त योग्यता सूची (Merit List) के अनुसार विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में लागू प्रवेश नियमावली/आर्डिनेन्स के अनुसार ही विद्यार्थियों के प्रवेश किये जाने अनिवार्य होंगे।
4. शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु लागू प्रवेश नियम विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं आपके एडमिन पोर्टल पर शीघ्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कृपया उक्तानुसार ही प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पादित करने का कष्ट करेंगे।
5. समस्त प्रवेश की प्रक्रिया कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सामाजिक दूरी इत्यादि के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त के क्रम में माननीय कुलपति जी के निर्देशों के अनुपालन में मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में सम्पादित कर सम्बन्धित कक्षाओं में विधिवत् पठन-पाठन का कार्य दिनांक 17 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,


निदेशक, डी0 आई0 सी0/संयोजक प्रवेश

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
2. परीक्षा नियन्त्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. प्रभारी, ई0 आर0 पी0, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


निदेशक, डी0 आई0 सी0/संयोजक प्रवेश



कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

पत्रांक - डी0 आई0 सी0/2022/ 881,

दिनांक - 08.09.2022

सेवा में,

- | | | |
|---|---|--|
| 1. परिसर निदेशक,
डी0 एस0 बी0 परिसर,
नैनीताल/सर जे0 सी0 बोस
परिसर, भीमताल | 2. प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय/संस्थान,
सम्बद्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल | 3. संकायाध्यक्ष,
समस्त संकाय,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल |
|---|---|--|

विषय- शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय के अकादमिक कलैण्डर (Academic Calendar) के क्रियान्वयन सम्बन्धी।

महोदय/महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र सं0 डी0 आई0 सी0/2022/841, दिनांक 03.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्नातक प्रथम सेमेस्टर (बी0 ए0/बी0 एस-सी0/बी0 कॉम0) पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित कक्षाओं में विधिवत् पठन-पाठन का कार्य दिनांक 17 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अकादमिक कैलैण्डर (छायाप्रति - संलग्न) के अनुसार वर्तमान में संचालित सेमेस्टर/वार्षिक पद्धति से आच्छादित विद्यार्थियों की परीक्षाएँ निम्नवत् आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं -

1.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आच्छादित पाठ्यक्रमों (बी0 ए0/बी0 एस-सी0/बी0 कॉम0 प्रथम सेमेस्टर) की परीक्षाएँ	01.12.2022 से 20.12.2022
2.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पृथक (स्नातक/स्नातकोत्तर तथा व्यवसायिक) पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ	01.01.2023 से 05.02.2023
3.	वार्षिक पद्धति से आच्छादित पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ	16.04.2023 से 06.05.2023

उपरोक्त के क्रम में मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि कृपया इन समस्त पाठ्यक्रमों का शिक्षण कार्य निर्धारित तिथि से पूर्व पूर्ण करने के साथ ही इन पाठ्यक्रमों की आन्तरिक परीक्षाओं को परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व सम्पादित कर आन्तरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को विश्वविद्यालय के ऑनलाईन पोर्टल में अंकित करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय,


08/09/2022

निदेशक, डी0 आई0 सी0/संयोजक प्रवेश

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त विभागाध्यक्ष, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
2. परीक्षा नियन्त्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
4. प्रभारी ई0 आर0 पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त के दृष्टिगत ऑनलाईन पोर्टल सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने का कष्ट करेंगे।
5. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।


08/09/2022

निदेशक, डी0 आई0 सी0/संयोजक प्रवेश



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

Tentative Academic Calendar for the Session 2022-2023 for newly admitted students in the undergraduate courses under the National Education Policy 2020

S.NO.	Tentative Examination /Teaching work	Date (Campuses / Colleges in Hills)	Date (Campuses / Colleges in Plains)
	First Semester		
1.	Last date for admission Registration	30-07-2022	30-07-2022
2.	Duration for finalizing admissions for the first semester	01-08-2022 to 16-08-2022	01-08-2022 to 16-08-2022
3.	Commencement of teaching work for students admitted in first semester	17-08-2022	17-08-2022
4.	Last date for completion of Teaching work for students admitted in first semester *	30-11-2022	30-11-2022
5.	Duration for First Semester Examinations	01-12-2022 to 20-12-2022	01-12-2022 to 20-12-2022
6.	Last Date for the declaration of result of the Odd semester Examinations	20-01-2023	20-01-2023
7.	Duration of Winter Break	To be decided by the University	To be decided by the University
	Second Semester		
1.	Commencement of teaching work for the Even Semester	01-02-2023	To be decided by the respective Universities
2.	Last date for Completion of teaching work for the Even Semester*	13-05-2023	13-05-2023
3.	Duration of Even Semester Examinations	15-05-2023 to 05-06-2023	15-05-2023 to 05-06-2023
4.	Duration of Summer Break	To be decided by the University	To be decided by the University
5.	Last Date for the declaration of result of the Even semester Examinations	05-07-2023	05-07-2023

Commencement of admission registration for new students for the academic session 2023-2024

01-06-2023

Tentative Academic Calendar for the Students enrolled under the old Annual Mode of Examination

S.NO.	Tentative Schedule	Date (Campuses/ Colleges in Hills)	Date (Campuses / Colleges in Plains)
1.	Last date for finalizing admissions	16-08-2022	16-08-2022
2.	Commencement of teaching work	17-08-2022	17-08-2022
3.	Last date for Completion of Teaching work *	15-04-2023	15-04-2023
4.	Duration of Winter Break	To be decided by the University	To be decided by the University
5.	Duration of Annual Mode Examinations	16-04-2023 to 06-05-2023	16-04-2023 to 06-05-2023
6.	Last Date for the declaration of result of the Annual Mode Examinations	07-06-2023	07-06-2023
7.	Duration of Summer Break	To be decided by the University	To be decided by the University

Tentative Academic Calendar for the Students enrolled under ongoing Semester Mode

S.NO.	Tentative Schedule	Date (Campuses / Colleges in Hills)	Date (Campuses / Colleges in Plains)
	Odd Semester		
1.	Last date for finalizing admissions	15-09-2022	15-09-2022
2.	Commencement of teaching work	16-09-2022	16-09-2022
3.	Last date for Completion of Teaching work *	30-12-2022	30-12-2022
4.	Duration of Odd Semester Examinations	01-01-2023 to 05-02-2023	01-01-2023 to 05-02-2023
5.	Duration of Winter Break**	To be decided by the University	To be decided by the University
6.	Last Date for the declaration of result of the Odd semester Examinations	05-03-2023	05-03-2023
	Even Semester		
1.	Last date for finalizing admissions	15-03-2023	15-03-2023
2.	Commencement of teaching work *	16-02-2023	16-02-2023
3.	Last date for Completion of Teaching work	30-05-2023	30-05-2023
4.	Duration of Even Semester Examinations	01-06-2023 to 05-07-2023	01-06-2023 to 05-07-2023
5.	Duration of Summer Break**	To be decided by the University	To be decided by the University
6.	Last Date for the declaration of result of the Even semester Examinations	05-08-2023	05-08-2023

Note-

1. * Since the Academic Session has also been delayed due to covid pandemic so if in any semester/Year the no. of actual teaching days happens to be less than 90/180, teaching for the same shall be compensated by taking online/ extra classes so that the academic session may be regularized.
2. ** Since the Academic Session has also been delayed due to covid pandemic so for students enrolled under ongoing semester mode, the examinations shall have to be conducted during winter/summer break so that the academic session may be regularized at the earliest.
3. The Academic Session has been grossly affected due to covid pandemic and the session has become irregular, to regularize the Academic session at the earliest possible time winter break/ summer break in University/College may be cancelled in the general interest of the students. Moreover, as per requirement winter break/ summer break may be granted in which half of the faculty members may be directed to come to the institutions on rotational basis if needed.
4. Till the session is regularized, long leave (except Maternity leave) shall be granted to teachers/non-teaching staff only under extra ordinary circumstances
5. Students shall be encouraged to adopt online teaching mechanisms (MOOC's, SWAYAM, E-Pathshala etc) so that teaching work may be accomplished within stipulated time.
6. Condolence meeting in the unfortunate event of demise of the employed teaching/non-teaching staff shall be conducted at 3:00 pm. In such cases classes shall continue regularly till 3:00 pm.
7. In case of an emergency appropriate decision shall be taken by the Hon'ble Vice Chancellor.
8. For the implementation of National Education Policy 2020 all the matters regarding admission, curriculum, examinations etc shall be governed by the provisions mentioned in the Uttarakhand government order no. /XXIV-C-4/2022-01(06)/2019 dated 23-05-2022.
9. Academic Calendar for the upcoming Academic session 2023-2024 shall be released separately.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पर आधारित



www.kunainital.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों
(बी० ए०, बी० एस-सी०, बी० कॉम०)
के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश
2022

प्रवेश नियम
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

अध्याय-1 साधारण नियम-

- 1-1** विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1-2** विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1-3** परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायगी तथा काउंसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र/फॉर्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय /संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1-4** Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 1-5** अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।
- 1-6** किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1-7** (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा

हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय-परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
- (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1-8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1-9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत “धोखाधड़ी से प्रवेश लेना” माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1-10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1-11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है-

1- अनुसूचित जाति

19 प्रतिशत

2-	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3-	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत

4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट - स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा-

(1)	महिलाएँ	30 प्रतिशत
(2)	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3)	दिव्यांग	04 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1-12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

- (i) Extension in date of admission upto 30 days
- (ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.
- (iii) Waiving of domicile requirements.

1-13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा-

(क)	एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख)	राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)-	20 अंक
(ग)	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगाभाई/बहन-	20 अंक
(घ)	जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध-सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति /पत्नी/सगाभाई/बहन-	20 अंक
(ङ)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च)	अन्तर-विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ)	शासन द्वारा/खेल फ़ेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज)	राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक

- (झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
- (ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक
- (ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक
- (ठ) अन्तर-महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट - उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

- 1-14** (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।
- (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

- 1-15** (क) **स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु -**
प्रवेश नियमों के अन्तर्गत रहते हुए किसी भी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त -
1. शिक्षा में अवरोध होने की स्थिति में 02 वर्षों के भीतर स्नातक कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
 2. अभ्यर्थी की शिक्षा में अवरोध न होने की स्थिति में त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा किन्तु अभ्यर्थी को प्रवेश योग्यता सूची के आधार व कक्षा में स्थान रिक्त होने पर दिये जायेंगे (योग्यता सूची तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये विद्यार्थी की इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्तांकों के 05 प्रतिशत अंक कम किये जायेंगे)।
 3. किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।
व्याख्या (Explanation) :- यदि विद्यार्थी सतृता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।
 4. भविष्य में यू0 जी0 सी0 अथवा एन0 एच0 ई0 क्यू0 एफ0 के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्ध में जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जाना आवश्यक होगा।

- 1-16** कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/परिसरों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष

परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

- 1-17** एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड-ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1-6/2007 (cpp-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

- 1-18** (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

- 1-19** अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

- 1-20** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण - विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

अर्हता निर्धारण के नियम
(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

अध्याय-2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम -

2-1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट/Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड/यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :-

- (1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
- (2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)
- (3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
- (4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा। जिसके उपरान्त ऐसे छात्र को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2-2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आये व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।

- 2-3** शिक्षणोत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 2-4** परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
- 2-5** स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता-क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।
- 2-6** The candidates for the Under-Graduate programs shall have to two compulsory paper/ subject and choose one optional-subject combinations as per the group-scheme provided below:
- (a) **For Bachelor of Science (B. Sc.) :**
- (i) Subjects available in the group A and B are compulsory for the candidate.
 - (ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from group C mentioned below from its own faculty or from the *other faculty.
**Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.*

<u>Mathematics groups :</u>		
Group A	Group B	Group C
Mathematics	Physics	Chemistry Computer Science Information Technology Geology Statistics

<u>Biology groups :</u>		
Group A	Group B	Group C
Botany	Zoology	Chemistry Information Technology Geology Forestry

- (b) **For Bachelor of Arts (B. A.) :**
- (i) A candidate has to opt for two major subjects from the group mentioned below by taking one subject from any group.
 - (ii) A candidate has to choose the third subject (Major III) either from the groups mentioned below (own faculty) or from the *other faculty.

**Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.*

A	B	C	D	E	F
ENGLISH LITERATURE	DRAWING AND PAINTING	GEOGRAPHY	EDUCATION	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE
KUMAUNI BHASA	ECONOMICS	HISTORY	SOCIOLOGY		
SANSKRIT LITERATURE	HOME SCIENCE	MUSIC			
	PHYSICAL EDUCATION	YOGA			
	PSYCHOLOGY				

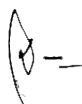
(c) **For Bachelor of Commerce (B. Com.) :**

- A candidate has to opt two major papers from its own faculty.
- A candidate has to choose the third subject (Major III) either from its own faculty or from the *other faculty.

GROUP A	GROUP B	GROUP C
Financial Accounting	Business Regulatory Framework	Business Organisation & Management
		Business Communication

**Candidate must check the prerequisite of the desired subject before opting the same from other faculty.*

वैधानिक नियन्त्रण - विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।


 कुलसचिव
 कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

प्रारूप (क)

छात्र द्वारा शपथ-पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूंगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूंगा/रहूंगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूंगा/करूंगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर-

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)

पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु०/श्रीमती जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर-पिता/अभिभावक

अध्यादेश (ORDINANCE)

बी0 ए0/बी0 एस-सी0/बी0 कॉम0 पाठ्यक्रम हेतु (शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

1. परिभाषाएं –

1.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम०, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम०, एल०एल०बी०, पीएच०डी० इत्यादि।

1.2 संकाय (Faculty)–

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

1.2.2 विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जायेगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

1.3 विषय (Subject)–

1.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

1.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

1.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)–

1.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्राैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

1.4.2 थ्योरी और प्राैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

2. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

(Annexure - 1)

2.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (own faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

2.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

2.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

2.4 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

2.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में (4/5/6 क्रेडिट) का होगा।

2.6 माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय (own faculty or other faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

- 2.7 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 2.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषय का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो।
- 2.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।
- 2.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आबंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवे एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- 2.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।
- 2.12 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर कि कक्षाएँ फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स कि कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।
- 2.13 ऐसे महाविद्यालयों/संस्थान जहाँ पर केवल 01 ही संकाय है वहाँ विद्यार्थी अपना चतुर्थ पेपर (Minor Elective) भारत सरकार/यू0 सी0 सी0/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्लेटफार्मों में समान क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं।

3. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses)

(Annexure - 1)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक-एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12 क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम) पूर्ण करना होगा।

4. सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course)

(Annexure - 1)

- 4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) करना अनिवार्य होगा।
- 4.2 विद्यार्थी को हर सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Open Online Courses)

- 5.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 per cent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with

approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality-assured MOOC programmes offered on the SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

- 5.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू० जी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCs इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू० जी० सी०/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. शोध परियोजना (Research Project)

(Annexure - 1)

- 6.1 स्नातक / स्नातकोत्तर / पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी०जी०डी०आर० में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पीएच०डी० कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।
- 6.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना Interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 6.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- 6.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- 6.5 स्नातक स्तर एवं पी०जी०डी०आर० के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 6.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

7. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

(Annexure - 1)

- 7.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।

- 7.2 प्रैक्टिकल/इंटरनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटरनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- 7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- 7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी०जी०डी०आर० ले सकता है।
- एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- 7.5 यदि कोई योग्य विद्यार्थी (fast learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- 7.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 7.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।
- 7.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजिट (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 7.9 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि-क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8. स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A+	Excellent	81-90	9
A	Very Good	71-80	8
B+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

9. उत्तीर्ण प्रतिशत

- 9.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।
- 9.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।
- 9.3 छः सह-पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project) Qualifying है तथा इनके उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे।
- 9.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/ सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।
- 9.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।
- 9.6 सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

9.7 किसी भी कोर्स/ पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।

9.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

10. कक्षान्ती (Promotion)

10.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।

10.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात् वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :-
विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्षों (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Papers (सह-पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।

10.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

11. बैक पेपर परीक्षा

11.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

11.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

11.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

11.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

12. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :- यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

13. SGPA एवं CGPA की गणना –

13.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए – $SGPA (S_j) = \sum(C_i \times G_i) / \sum C_i$	यहाँ पर – C_i = number of credits of the i th course in j th semester G_i = grade point scored by the student in the i th course in j th semester
$CGPA = \sum(C_j \times S_j) / \sum C_j$	यहाँ पर – S_j = SGPA of the j th semester C_j = total number of credits in the j th semester

13.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = $CGPA \times 9.5$

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का अगणन निम्नवत् किया जायेगा:-

CALCULATION OF SGPA

CALCULATION OF SGPA

Subject	Course	Course Type	Credits of Paper	Internal Assessment	External Examination	Total Max. Marks	Grade	Grade Point	Grade Value**
				Max. Marks 25	Max. Marks 75				
Physics	Course 1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	6	24
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	10	20
Chemistry	Course 1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	9	36
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	9	18
Economics	Course 1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	8	48
History	Course 1 (Th)	Minor	4	21	60	81	A+	9	36
Personality Development	Co-curricular Course	Co-curricular	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		22						182
				Theory Evaluation Max Marks 40	Training Evaluation Max Marks 60				
Cyber Security	Vocational Course	Skill	3	20	67	87	A+	9	27
	Grand Total		25						209

**Grade Value = Grade Point x Credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total Grade Value / Total Credits = $209 / 25 = 8.36$ (In a semester)

Note : Take only two digits after decimal in all the calculations

CALCULATION OF CGPA

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
CREDIT : 25 SGPA : 8.36	CREDIT : 21 SGPA : 6.08	CREDIT : 25 SGPA : 8.90	CREDIT : 21 SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade value / Total Credits
(In all the semesters till now)

Thus, CGPA = $(25 \times 8.36 + 21 \times 6.08 + 25 \times 8.90 + 21 \times 7.22) / 92 = 7.73$

Hence, equivalent percentage = $7.73 \times 9.5 = 73.44$

And the Division will be First

13.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी:

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक 5.00 से कम CGPA

14. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

14.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

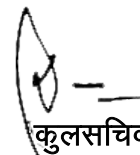
14.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

14.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. व्याख्या खंड / वैधानिक नियन्त्रण

इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्दे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।



कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

ANNEXURE 1

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना –

Year	Sem.	Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cumulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
		Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4) Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI						–	Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject